

आदिवासी नेता मोतीलाल तेजावत

डॉ दिव्या पटेल

समय परिवर्तनशील है। इसलिए समय का हर क्षेत्र बदलता रहता है। आज के वैज्ञानिक युग में लोग इतिहास को बहुत नीरस विषय मानते हैं। लेकिन इतिहास की बदली हुई अवधारणा ने इस धारणा को खारिज कर दिया है कि इतिहास केवल राजाओं और राजाओं के युद्धों की गाथा नहीं है। लेकिन आज का इतिहास लेखन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास को लिखने की ओर बढ़ रहा है। 1900 के दशक में, इतिहास लिखने की एक विधि का आविष्कार किया गया जिसे सबर्टन कहा जाता है। इसके संरक्षक श्री रंजीत गुहा थे जिन्होंने पहले कहा था कि इतिहास केवल अभिजात वर्ग का इतिहास नहीं हो सकता है और इसलिए किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों और महिलाओं का इतिहास लिखना शुरू किया।

आदिवासी आंदोलन जैसे बिरसा मुंडा आंदोलन, दानाभगत आंदोलन, गुजरात का पंचमहल नायक आंदोलन, गुरु गोबिंद का आंदोलन आदि आदिवासी नेतृत्व को दर्शाता है। जिन्होंने सुप्त अवस्था में रहने वाले आदिवासी समाज को जागरूक बनाया और ब्रिटिश सरकार और देशी राजकुमारों के खिलाफ शोषण और दमन का विरोध करने की शक्ति प्रदान की।

श्री मोतीलाल का जन्म राजस्थान के कोलियारी गाँव में 8 जुलाई 1887 को वाणिक जाति में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके ही गाँव में हुई थी। आम तौर पर हमारा एक सवाल होता है कि श्रीतेजावत वाणिक जाति के थे और एक उच्च जन्म व्यक्ति को आदिवासी समाज के उत्थान का कार्य क्यों करना चाहिए? श्री तेजावत का जन्म राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था। पूरा क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों में आदिवासी प्राचीन काल से रह रहे थे और सदियों से उनका शोषण किया जा रहा था। श्री तेजावत ने जागीरदार से कहा कि जब उन्हें अपने काम के दौरान जागीरदार के साथ आसपास के इलाकों में जाना पड़ता था, तो वह आदिवासियों का शोषण करते थे।

अपनी यात्रा के दौरान कई बार श्री तेजावत ने भीलों, गरासियाओं और गरीब किसानों को पकड़ा और उनसे कर वसूलते देखा। टैक्स देने से इनकार करने वालों को लाठियों या जूतों से पीटा गया। आदिवासियों पर शारीरिक कष्ट थोपना जागीरदारों के लिए एक विषय बन गया। मोतीलाल तेजावत भी सामंतों के अत्याचारों का शिकार हुए।

1912 से 1920 तक आठ साल तक वहाँ जागीरदार के रूप में काम करने के बाद उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। फिर उसने जादोल में एक सेठ का काम वहाँ के मुनीम के रूप में स्वीकार किया। इस नौकरी के दौरान मोतीलाल कई भीलों के संपर्क में आया। उन्होंने देखा कि व्यापारियों द्वारा आदिवासियों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। उनके श्रम की कमाई जमींदार द्वारा ली जाती थी।

भीलों को उनके द्वारा भुगतान किए गए करों की रसीदें नहीं दी गईं। उनसे ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता था। इस प्रकार अनपढ़ भील और गरीब किसान जो साहूकार की किताब में फंस गए थे, वे कभी भी किताब के जाल से बाहर नहीं निकल सके।

मोतीलाल तेजावत का आदिवासी आंदोलन :-

श्री मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन की तैयारी में जगह-जगह यात्रा की और किसानों और आदिवासियों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। भोमत क्षेत्र में गुप्त रूप से आंदोलन के एजेंडे का प्रसारण करें। उन्होंने गरीब किसानों और विधेयकों को समझाया कि अगर वे खुद को शोषण और शोषण से मुक्त करना चाहते हैं तो उन्हें खुद को संगठित करना होगा। श्री तेजावत ने मातृकुंडिया गांव में एक बैठक आयोजित की और यह निर्णय लिया गया कि जब तक किसानों के मुद्दों को महाराणा के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी किसान कर का भुगतान नहीं करेगा। 1921 ई. में बद्र की बैठक में महाराणा को किसानों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए उदयपुर जाने का निर्णय लिया गया। एक प्रतिनिधिमंडल तैयार किया गया था। इसमें 42 लोग शामिल थे। श्री तेजावत ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि इस प्रतिनिधिमंडल का गांव-गांव में स्वागत किया गया।⁴ केसरडी खेड़ी के जाट भी इस आदिवासी आंदोलन में शामिल हुए।

मटकला ग्राम सभा में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक ग्राम के प्रतिनिधि लिखित रिपोर्ट लेकर उदयपुर पहुंचें। मोतीलाल और उनके अनुयायियों ने पिछोला झील के तटों को भर दिया। इस दौरान मोतीलाल ने किसानों के मुद्दों पर 'मेवाड़' नामक पुस्तक लिखी।

सामंतों और अधिकारियों ने इस संघर्ष को दबाना चाहा। वह चाहते थे कि किसान के सवाल महाराजा तक न पहुंचें। लेकिन उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई। मोतीलाल और उनके साथ आए प्रतिनिधियों ने 21 मांगों की सूची तैयार की। जब वे महाराणा से मिलने गए। जब वे महाराणा से मिलने गए, तो उन्होंने महाराणा को किसानों की 21 मांगों की एक सूची प्रस्तुत की, जिसमें से 18 को महाराजा ने स्वीकार कर लिया, 03 को खारिज कर दिया गया। जिसमें (1) वन वनस्पतियों का उपयोग (2) शिकार प्रथाओं (3) कुत्तों को पकड़ना जैसे मामले शामिल थे।

महाराणा ने 18 मांगों को स्वीकार किया। तो किसान संतुष्ट थे। इसे अपनी जीत के रूप में देखकर वे प्रसन्न हुए लेकिन मोतीलाल तेजावत का आंदोलन यहीं नहीं रुका क्योंकि श्री तेजावत 18 मांगों को स्वीकार करने से संतुष्ट नहीं थे। मोतीलाल ने उदयपुर छोड़ने का फैसला किया और उसके बाद उन्होंने आदिवासियों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। वह घर-घर जाकर भीलों का हाल जानने जाता था। आदिवासी समुदाय भी उन्हें अपने सुधारक के रूप में देखता था।

मोतीलाल तेजावत के आदिवासी आंदोलन के शुरुआती दौर में 'एक आंदोलन' केवल मेवाड़ तक ही सीमित नहीं था, अब इसका प्रभाव गुजरात के दंता, पालनपुर, पोशिना, खेड़ब्रहमा, इदर और

विजयनगर महल तक फैल गया। श्री तेजावत ने मेवाड़ से इंदर और विजयनगर से महल की यात्रा की। इस सूबा के सभी भील आंदोलन में शामिल हो गए।

'वन मूवमेंट' में शामिल होने वाले भीलों ने रियासतों को कर देना बंद कर दिया। मेवाड़ के कोटड़ा, माद्री और जडोल जैसे क्षेत्रों के किसानों ने कर देने से इनकार कर दिया। 6 धीरे-धीरे 'एकी आंदोलन' का प्रभाव मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। श्री मोतीलाल तेजावत ने 9 दिसंबर 1921 को माधुरी के पास एक बैठक की। 7 मोतीलाल तेजावत ने इस बैठक में चर्चा की कि कैसे भीलों को एक आंदोलन में एकजुट किया जाए और कौन से करों का भुगतान किया जाए और किस पर नहीं।

मोतीलाल तेजावत ने 15 जनवरी 1922 को सिरोही राज्य में प्रवेश किया। सिरोही जागीरदारों ने उसका सामना करने के लिए पुरुषों को इकट्ठा किया। 8 सिरोही में रहने के दौरान वह गांधीजी के दो अनुयायियों से मिले। मोतीलाल की यात्रा के दौरान हर जगह भीलों ने उनका स्वागत किया। साथ ही उनके पास नारियल और कंकू जैसी चीजें भी हुआ करती थीं।

सिरोहिमा में सभा की व्यवस्था करने के बाद वह पालनपुर के लिए रवाना हो गए। पालनपुर प्रवास के दौरान उन्हें दाता के महाराजा कुमार का एक धमकी भरा पत्र मिला। इसने उन्हें चेतावनी दी कि वे दाता के क्षेत्र में प्रवेश न करें या उन्हें मार दिया जाएगा मोतीलाल 10 ने उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया और दाता के राज्य में प्रवेश किया।

मोतीलाल तेजावत और भीलों के बीच एक समझौता हुआ कि वे उदयपुर जाएं और महाराजा से मिलें क्योंकि भीलों की समस्याओं को हल करना आवश्यक था। मोतीलाल तेजावत और भील उदयपुर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने घोड़ादार, पाल और खेरवाड़ा होते हुए उदयपुर जाने का रास्ता चुना वे इसी रास्ते से उदयपुर की ओर जा रहे हैं। इसकी सूचना खेरवाड़ा के राजनीतिक एजेंट को दी गई। उदयपुर के रास्ते में, मोतीलाल एक दिन के लिए पलाधव गाँव में रुके जहाँ उन्होंने भीलों की एक बैठक की और भीलों से 'एक आंदोलन' में शामिल होने की अपील की। 7 मार्च, 1922 को पाल दरवावा गांव में मोतीलाल और भीलों के बीच एक बैठक हो रही थी, जिसकी सूचना खेरवाड़ा में हुई थी। तो अंग्रेज अफसर मेजर सटन और मेवाड़ भील पुलिस इस मुलाकात को रोकने के लिए वहाँ पहुंच गई। मेजर ने इस शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस फायरिंग में श्री तेजावत के पैर में गोली लग गई। भीलों ने उसे ऊँट पर बिठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया। इस नरसंहार को 'धधव नरसंहार' के नाम से जाना जाता है। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना में 22 भील मारे गए थे, यह घोषित किया गया था। 12 लेकिन स्थानीय लोककथाओं के अनुसार, हजारों निर्दोष भीलों की जान चली गई। इस घटना के बाद श्री तेजावत की गुमनामी शुरू हो जाती है। लेकिन गुमनाम रहकर उन्होंने 'एकी आंदोलन' को ताकत दी। इस दौरान मोतीलाल ने सिरोही दीवान रमाकांत मालवीय और राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष विजयसिंह पथिक से मुलाकात की।

महात्मा गांधी को श्री तेजा के 'एकता आंदोलन' और भीलोम के सामाजिक सुधार कार्यों के बारे में भी पता चला। मोतीलाल तेजावत को मणिलाल कोठारी भेजा गया। श्री तेजावत ने पत्र के माध्यम से गांधीजी को आदिवासी आंदोलन और आदिवासी समाज सुधार की जानकारी भेजी। उन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। श्री तेजावत ने 1929 ईस्वी में सात साल के गुप्त काल के बाद खेड़ब्रह्मा मुकामा में ब्रह्माजी मंदिर के पास आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन एदेर राज्य उस पर मुकदमा नहीं चला रहा था। अतः श्री तेजावत को उदयपुर राज्य के हवाले कर दिया गया। 14 वहाँ उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई। श्री तेजावत को कारावास की सजा सुनाई गई थी, इसलिए राजस्थान के एक कवि ने उनकी प्रशंसा की।

“भोमट भानु ने तुरंत, दियो जेल में भेज।
हिंदू रवि नहीं सह सक्यो, तेजावत रो तेज।।”

श्री तेजावत को 23 अप्रैल 1936 तक जेल में रखा गया था। 15 तब उन्हें इस शर्त पर रिहा किया गया था कि वे सरकार की अनुमति के बिना आदिवासी क्षेत्रों में नहीं जाएंगे और उन्हें उदयपुर राज्य की सीमा से बाहर जाने की भी मनाही थी।

मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1929 को हुई थी। मणिलाल वर्मा को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। सत्याग्रह मेवाड़ प्रजा मंडल द्वारा 4 अक्टूबर 1928 को शुरू किया गया था। जिसमें सरकार ने प्रजा मंडल के कई नेताओं को गिरफ्तार किया था। श्री तेजावत ने भी लोगों को इस सत्याग्रह में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए सरकार ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया।

22 जनवरी 1939 को हैदराबाद में सत्याग्रह भी शुरू हुआ। मोतीलाल तेजावत भी इस सत्याग्रह से प्रेरित थे और इसमें भाग लेना चाहते थे। इसलिए वे अपने साथी श्री भवरलाल पालीलाल और पंटर श्रीकृष्ण पारेख के साथ हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। 16 लेकिन इंदौर पहुंचने पर उन्हें खबर मिली कि आंदोलन बंद कर दिया गया है। इसलिए उन्हें उदयपुर लौटना पड़ा है। 1942 में जब हिंदू छोटी आंदोलन शुरू हुआ तो मेवाड़ प्रजा मंडल ने भी आंदोलन शुरू किया। मोतीलाल 22. तेजावत ने भी इस आंदोलन में भाग लिया और अगस्त 1942 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 17 को उदयपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया था। तीन साल बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया और फिर से उसी स्थिति में रखा गया कि वे उदयपुर की सीमा से बाहर नहीं जा सकते। महात्मा गांधी ने उदयपुर राज्य से श्री तेजावत को आदिवासी क्षेत्रों में जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया ताकि वे आदिवासी समाज को सुधारने का काम कर सकें लेकिन उदयपुर राज्य ने गांधीजी के अनुरोध का समर्थन नहीं किया। फिर 31 जनवरी, 1947 को प्रतिबंध हटा लिया गया और उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन श्रीमान तेजावत को आजादी का असली स्वाद भारत को आजादी मिलने के बाद ही मिला।

आजादी के बाद वे फिर से आदिवासी क्षेत्रों में गए और समाज सुधार का काम शुरू किया। 1948 में आजादी के बाद उन्होंने विजयनगर पलादुध्व गांव का दौरा किया। जहां मेवाड़ भील पुलिस द्वारा भीलों पर गोलियां चलाई गईं। श्री तेजावत ने उस स्थान का दौरा किया और इसका नाम वीरभूमि रखा और शहीद आदिवासियों को श्रद्धांजलि के रूप में फागन सूद नोम के दिन मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यह मेला लगभग 1977 तक चलता रहा। पोशिना में लेखक श्री रमनलाल सोनी, वडाली के शंकर जोशी, टिटोडी के कनुभाई रावल द्वारा एक आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिसमें मोतीलाल भी शामिल हुए। श्री रमनलाल सोनी द्वारा दर्ज किया गया है कि जब मोतीलाल तेजावत आए, तो भील जोर-जोर से मोतीलाल और बावाजी आयो के नारे लगा रहे थे। श्री रमनलाल सोनी और मोतीलाल तेजावत ने लगभग एक सप्ताह एक साथ बिताया। रमनलाल सोनी ने उनसे साबरकांठा आने का अनुरोध किया। जिसे तेजावत ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। रमनलाल सोनी के साथ वे मोडासा आए और वहां एक जनसभा आयोजित की गई।

1951 ई. में, सहारा निर्वाचन क्षेत्र के आदिवासियों ने श्री तेजावत से विधानसभा चुनाव में खड़े होने का आग्रह किया। मोतीलाल तेजावत राजनीति में नहीं आना चाहते थे। लेकिन जनता के प्यार के आगे झुककर उन्होंने चुनाव में खड़े होने का फैसला किया लेकिन कांग्रेस ने चुनाव में खड़े होने के लिए किसी और को नामित करने का फैसला किया। इसमें कोई शक नहीं कि जब तक श्री तेजावत चुनाव में खड़े रहे, विपक्षी उम्मीदवार के जीतने की संभावना बहुत कम थी। स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने पंडित ज्वालालाल नेहरू के माध्यम से मोतीलाल तेजावत को चुनाव से हटने का दबाव बनाया लेकिन तेजावत का निस्वार्थ व्यक्तित्व था। उन्हें सत्ता की जरा सी भी इच्छा नहीं थी। इसलिए उन्होंने तुरंत चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली।

श्री मोतीलाल तेजावत का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए समर्पित कर दिया। 5 सितंबर 1963.20 को उनका निधन हो गया लेकिन आज भी वे आदिवासी लोगों के जेहन में जिंदा हैं क्योंकि वे कोई आम इंसान नहीं बल्कि आदिवासी मसीहा थे।

संदर्भ सूची

1. काकरिया प्रमसिंह , मोतीलाल तेजावत, उदयपुर, १९८६, पु २१.
2. पटेल अंबालाल, अमीरगढ़ बेल्ट के आदिवासी गरसिया का एक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, अहमदाबाद, 1998
3. भील सेवा मंडल की रिपोर्ट
4. भील सेवा मंडल, 1922 के बाद कार्य का विवरण, दाहोद, 1985
5. प्रसाद संजय और वढेला अरुण (सं.)। गुजरात के आदिवासी आंदोलन इतिहास, अहमदाबाद, 2019
6. संस्थागत भारत में किसान आंदोलन की, अहमदाबाद,